5

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 82–चार/2001 – विरूद्ध आदेश दिनांक 30–9–2000 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 28/1999–2000 निगरानी

1– रामदास 2– पूरन पुत्रगण भगरी
जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगोना कलॉ
तहसील मुरैना जिला मुरैना मध्य प्रदेश -- आवेदकगण

विरूद्ध

1–केशरीनन्दन 2– कृष्णदास
पुत्रगण राजेन्द्रसिंह डण्डोतिया
ग्राम हिंगोना खुर्द तहसील मुरैना
2–भगरी पुत्र हरगोविन्द जाटव
ग्राम हिंगोना खुर्द तहसील मुरैना ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 1 -3 -2016 को पारित)

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 28/99–2000 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30–9–2000 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि रिस्पा0 क–1 एंव 2 ने तहसीलदार मुरैना के समक्ष आवेदन देकर क्रय की गई भूमि सर्वे नंबर 17 रकबा 3 वीघा 2 विसवा में से 10 विसवा,स0नं0 96/1 रकबा 1 वीघा 13 विसवा, 96/3 रकबा 17 विसवा, 114/3 रकबा 14 विसवा, 115 रकबा 4 वीघा 4 विसवा,116

रकबा 2 विसवा, 167 रकबा 8 विसवा, 173 रकबा 8 वीघा 8 विसवा , 142 रकबा 3 वीघा 7 विसवा , 537 रकबा 1 वीघा 8 विसवा में से 1 वीघा एव अॅश विसवा पर नामान्तरण की मांग की। तहसीलदार के न्यायालय में प्रचलित प्रकरण कमांक 29/95-96 अ-6 में आवेदकगण ने आपत्ति की कि उक्तांकित भूमि पर व्यवहार वाद कमांक 157/96 ई0दी0 विचाराधीन है इसलिये नामान्तरण न किया जाय। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 31-3-97 से आपत्ति अमान्य की। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के समक्ष अपील कमांक 37/96-97 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 28-6-99 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर मुरैना के समक्ष निगरानी कमांक 131/98-99 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 16-11-99 से निगरानी निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत होने पर प्रकरण कमांक 28/99-2000 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-9-2000 निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी कि आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक को सुना तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक क-1,2 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसील न्यायालय में नामान्तरण कार्यवाही के दौरान आवेदकगण ने आपत्ति की है कि नामान्तरण में विचारित भूमि पर व्यवहार वाद कमांक 157/96 ई0दी0 प्रचलित है दीवानी वाद चलने के कारण नामान्तरण न किया जाय। इस आपत्ति को तहसीलदार ने आदेश दिनांक 31-3-97 इस आधार पर अमान्य

कर दिया कि आपत्ति समयवाह्य प्रस्तुत की गई है एंव प्रकरण में साक्ष्य हेतु आगामी तिथि नियत कर दी। तहसीलदार का आदेश दिनांक 31-3-97 अंतरिम आदेश था जिसके विरुद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर चुनौदी थी जबकि अंतरिम आदेश अपील योग्य नहीं होता अपितु निगरानी योग्य होता है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी मुरैना ने आदेश दिनांक 28-6-99 से अपील निरस्त कर दी, इन्हीं कारणों से अपर कलेक्टर मुरैना ने प्रकरण कमांक 131/98-99 में पारित आदेश दिनांक 16-11-99 से निगरानी निरस्त की है तथा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने भी प्रकरण कमांक 28/99-2000 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-9-2000 से अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 16-11-99 को स्थिर रखा है । अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के अवलोकन पर उनके व्दारा निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 28/99-2000 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-9-2000 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर